अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–5451/नौ–5–2011–147सा/10

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।**

नगर विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनांक 03 अक्टूबर, 2011

विषयः पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.02.2011 द्वारा प्रख्यापित एवं 02.07.2011 द्वारा संशोधित अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम–2011 का अनुपालन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–209 दिनांक 04.02.2011 द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम–2011 प्रख्यापित किया गया। उक्त अधिसूचना दिनांक 04.02.2011 के क्रम में संशोधित अधिसूचना संख्या–1258 दिनांक 02.07.2011 के द्वारा संदर्भित अधिसूचना दिनांक 04.02.2011 के नियम–5 (6) में यह व्यवस्था की गयी कि प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी भी रूप में गुटखा, पान मसाला और सभी रूपों में तम्बाकू की पैकिंग के लिए नहीं किया जायेगा।

2. उक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 04.02.2011 तथा संशोधन अधिसूचना दिनांक 02.07.2011 की प्रति संलग्न है। उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित नियम संख्या–4, 5, 6 एवं 10 में निम्नानुसार उपबन्ध किये गये हैं:

" 4. विहित प्राधिकरण :

विहित प्राधिकरण से निम्नलिखित प्राधिकरण अभिप्रेत है–

(क) प्राधिकरण, विनिर्माण, पुनःचकण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी:

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबद्ध नगर पालिका प्राधिकरण होगी।

5.शर्तें:

कैरी बैगों और सैशे के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायेंगी, अर्थात:

(क) कैरी बैग या तो प्राकृतिक रंगत (रंगहीन) जो किसी मिलाये गये रंजकों के बिना हैं, या केवल उन रंजकों और रंगको के अनुसार होंगे जो खाद्य सामग्री, भेषजीय पदार्थो और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिक के उपयोग के लिए समय–समय पर यथा संशोधित, रंजकों और रंगक की सूची नामक भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश 9833: 1981 के अनुरूप हैं:

(ख) कोई व्यक्ति, खाद्य सामग्री को भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए पुनःचक्रित प्लास्टिक या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैगों का उपयोग नहीं करेगा:

(ग) कोई व्यक्ति, किसी अप्रयोज्य या पुनःचक्रित या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने किसी कैरी बैग का जो मोटाई में 40 माइक्रोन्स से कम है, विनिर्माण, भंडार वितरण या विक्रय नहीं करेगा:

(घ) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जाएगा:

(ङ) पुनःचक्रित कैरी बैग, समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा. 14534: 1998 के अनुरूप होंगे:

(च) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैग समय समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भा.मा. /भा.मा.सं. 17088: 2008 के अनुरूप होगें:

(छ) प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी भी रूप में गुटखा, पान मसाला और सभी रूपों में तम्बाकू की पैंकिग के लिए नहीं किया जायेगा:

6.प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध:

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध निम्न प्रकार होगा:

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण, पुनःप्राप्ति या व्ययन समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार किया जाएगा:

(ख) प्लास्टिक का पुनःचक्रण, समय समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के भा.मा. 14534 : 1998 के अनुसार किया जाएगा:

(ग) नगर पालिका प्राधिकरण, अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, उसका प्रचालन और उसके समन्वय के लिए तथा निम्नलिखित सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्:

(i) प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना:

(ii) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो:

(iii) विनिर्माणकर्ताओं सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए संग्रहण केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित करना:

(iv) पुनःचक्रित करने वालों को इसका प्रणालन सुनिश्चित करना:

(v) सभी पर्णधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना:

(vi) अपशिष्ट प्रबंध में, अपशिष्ट चुनने वालों सहित कार्य करने वाले अभिकरणों या समूहों को लगाना और

(vii) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट का खुले में जलाया जाना अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) (i) प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए संग्रहण प्रणालियों का गठन के लिए सम्बद्ध नगर निकाय का उत्तरदायित्व होगा और इस प्रयोजन के लिए उक्त नगर निकाय, प्राधिकरण प्लास्टिक कैरी बैगों, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों या थैलियों के विनिर्माता या ऐसे, ब्रांड स्वामी जो ऐसे उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, की सहायता ले सकेगा,

(ii) नगर निकाय, प्राधिकरण, उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व पर आधारित किया विधि की रूपात्मकता पर कार्य कर सकेगा, जिसमें ऐसे विनिर्माता जिनकी अधिकारिता के भीतर राष्ट्रीयकृत कार्यालय हैं और ऐसे ब्राण्ड स्वामी जिनकी अधिकारिता के भीतर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हैं, को अन्तवर्लित करते हुए यथासाध्य या तो वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से अपने स्वयं के अभिकरणों के माध्यम से संग्रहण प्रणालियों के गठन पर कार्य कर सकेगा,

(ड.) पुनःचक्रणकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि पुनःचक्रण सुविधाएं, भारतीय मानक ब्यूरो के प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक भा.मा. 14535 : 1998 के अनुसार हैं और समय समय पर यथा संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन नियमों के अनुपालन में हैं:

(च) संबद्ध नगर निकाय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि पुनः चक्रण प्रकिया से उत्पन्न अवशेष, समय समय पर यथा संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और प्रहस्तन) नियम, 2000 की अनुसूची 2 ओर अनुसूची 3 (लैंड फिल साइड्स के लिए विनिर्देश) के अनुपालन में व्ययनित किए गए हैं:

(छ) नगर निकाय प्राधिकरण, सभी शहरी स्थानों निकायों के नगर निकाय उपविधियों में उक्त नियमों को सम्मिलित करेगा:

(ज) नगर निकाय प्राधिकरण, ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करके जैसे सड़क निर्माण में, सह–भष्मीकरण आदि द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। ऐसी प्रौद्योगिकी को उपयोग करने के लिए आशयित नगर निकाय प्राधिकरण या प्रचालक इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रदूषण सन्नियमों सहित विहित मानकों का अनुसरण सुनिश्चित करेंगे।

10.कैरी बैगों की कीमत सुनिश्चित करना:

कोई भी कैरी बैग, उपभोक्ता को फुटकर विक्रेता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। संबद्ध नगर निकाय प्राधिकरण,अधिसूचना द्वारा कैरी बैगों के लिए, उनकी क्वालिटी और साइज पर आधारित जिसमें उनकी सामग्री और अपशिष्ट

प्रबंधन लागत भी सम्मिलित है, उनके पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को कम किया जा सके, न्यूनतम कीमत अवधारित करेगा।"

3. पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम, 2011 का कियान्वयन जनपद स्तर पर किया जाना अपेक्षित है, जिससे पर्यावरणीय सुधार परिलक्षित हो सके तथा पालीथीन के प्रयोग को हतोत्साहित किया जा सके। अतः उक्त के कम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण एवं समन्वय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :

1. जिलाधिकारी—	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक—	सदस्य
3 नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (जिला मुख्यालय)	सदस्य
4. क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी	सदस्य—सचिव
5. गैर सरकारी संगठन (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
6. उद्योग क्षेत्र (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
7. व्यापार मण्डल (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
8. पुनःचकित उद्योग (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

4 उक्त समिति द्वारा प्रत्येक त्रैमास बैठक कर अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम, 2011 के कियान्वयन की समीक्षा की जायेगी तथा इसके कियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में भविष्य की रणनीति निर्धारित करते हुए अपनी रिपोर्ट (जिलाधिकारी के माध्यम से) शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबध और प्रहस्तन) नियम, 2011 के संदर्भित नियमों/उपबन्धों तथा वर्णित व्यवस्था का कियान्वयन प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही की सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास के अंत पर आगामी माह के 10 तारीख यानि 10 जुलाई, 10 अक्टूबर, 10 फरवरी एवं 10 अप्रैल तक संलग्न प्रारूप पर पर उपलब्ध करायी जाय।

संलग्न : **यथोक्त**

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
मुख्य सचिव

प्रारूप

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम, 2011 का जनपद स्तर पर कियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट

क्रमांक	जिले का नाम	प्रतिबन्धक कार्यवाही		जनजागरण सम्बन्धी कार्यवाही	अन्य कार्यवाही
		सीजर	पेनाल्टी		
1	2	3	4	5	6